# न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

**निगरानी डीपी प्रकरण संख्या 04/2009.(GCMS : 2009/00006)**

1. **बचन सिंह** पुत्र बख्तावर सिंह जाति रायसिख साकिन पक्की तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. **प्रीत सिंह** पुत्र बख्तावर सिंह जाति रायसिख साकिन पक्की तहसील व जिला श्रीगंगानगर

**बनाम**

1. **प्रबन्धक अधिकारी**, पुनर्वास (एस.डी.एम.), श्रीगंगानगर
2. **सेटलमेन्ट कमिश्नर** एवं अति. जिला कलेक्टर साहब, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.08.2022

**पत्रावली पेश हुई।** निगरानीकर्ता के अधिवक्ता श्री जगदीश गोदारा एवं राजकीय अधिवक्ता श्री गुरजीत सिंह बानर उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

**निगरानीकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन था कि** चक 2 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मु.नं. 16 हाल 11 की 25 बीघा नहरी भूमि अलॉटी बहादर सिंह पुत्र मोहर सिंह जाति रायसिख को बतौर क्लेमेंट अलॉट हुआ था। उक्त रकबा में से अलॉटी बहादर सिंह के द्वारा अपने जीवनकाल में मुरब्बा नं. 16 के किला नम्बर 1 ता 10 कुल 10 बीघा नहरी भूमि का बेचान पूरी कीमत लेकर प्रार्थीगण बचन सिंह व प्रीतम सिंह पुत्र बख्तावर सिंह जाति रायसिख के हक में दिनांक 19.02.1968 जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा सब रजिस्ट्रार श्रीगंगानगर के द्वारा विक्रय पत्र तस्दीक किया गया और खरीद की तिथि से ही आज तक उक्त 10 बीघा भूमि पर काबिज प्रार्थीगण निगरानीकर्ता का चला आ रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:10 IST
Reason: SelfAttested

**उनका आगे कथन था कि** प्रार्थीगण की उक्त खरीदशुदा भूमि के सम्बन्ध में श्रीमान् न्यायालय के द्वारा कब्जा काश्त की रिपोर्ट मांगी गई थी जो उपतहसीलदार, हिन्दुमलकोट द्वारा रिपोर्ट दिनांक 08.02.2022 को श्रीमान्

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

न्यायालय को प्राप्त हो चुकी है, जो पत्रावली में संलग्न है। उप तहसीलदार, हिन्दुमलकोट की रिपोर्ट मे भी अंकित किया गया है कि चक 2 सी बडी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मु.नं. 16 हाल 11 के किला नम्बर 1 ता 10 पर प्रीतम सिंह व बचन सिंह पुत्र बख्तावर सिंह जाति रायसिख का कब्जा काश्त है और काश्तकारों के द्वारा मौके पर एक रजिस्ट्री पेश की, जो साब रजिस्ट्रार, श्रीगंगानगर के मुताबिक बहादर सिंह पुत्र मोहर सिंह के मुं.न. 16 के किला नम्बर 1 ता 10 का 10 बीघा रकबा बचन सिंह, प्रीतम सिंह पिरारान बख्तावर सिंह को बेचान की है।

**उनका आगे कथन था कि प्रार्थीगण** निगरानीकर्ता को पता चला कि अलॉटी बहादर सिंह को क्लेम खारिज हो गया और उक्त रकबा के पेटे किश्ते बाकी है तो प्रार्थीगण के द्वारा एक प्रार्थना पत्र डीआरओ साहब, श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया कि प्रार्थीगण के द्वारा अलॉटी बहादर सिंह की उक्त 25 बीघा भूमि में से 10 बीघा भूमि जरिये विक्रय पत्र प्रार्थीगण की खरीद की हुई है। प्रार्थीगण के खरीदशुदा 10 बीघा के हिस्से तक की राशि मय ब्याज प्रार्थीगण जमा करवाने को तैयार है व अप्राथी द्वारा दिनांक 16.10.1987 राजस्थान सरकार के आदेश की पालना में अण्डर टेंकिग भी दिनांक 24.06.1996 को पेश की गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र डीआरओ साहब द्वारा दिनांक 17.08.2004 को खारिज कर दिया गया।

**उनका आगे यह भी कथन था कि** उक्त आदेश दिनांक 17.08.2004 के विरूद्ध प्रार्थीगण के द्वारा एक अपील सैटलमेंट कमीश्नर एवं जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष पेश की, जिसको भी दिनांक 20.10.2004 को निरस्त कर दिया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:10 IST
Reason: SelfAttested

**उनका आगे यह भी कथन था कि** उक्त आदेश दिनांक 17.08.2004 डीआरओ साहब दिनांक 20.10.2004 एडीएम साहब के विरूद्ध यह निगरानी श्रीमान् न्यायालय के समक्ष पेश की गई जिस पर दिनांक 26.12.2005 को

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

निगरानी संख्या 4/2009 पर श्रीमान् न्यायालय के द्वारा डी.पी.एवं सी आर एक्ट 1954 नम्बर 44 रिपील (निरस्त) किया जा चुका है अब इस एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती है यह आदेश दिनांक 26.12.2005 को श्रीमान् न्यायालय के द्वारा पारित किया गया।

**उनका आगे यह भी कथन था कि** उक्त आदेश दिनांक 26.12.2005 के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा एक रिट एस बी सिविल रिट पेटीशन नम्बर 10080/2008 माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में पेश की, जिस पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 16.09.2009 को रिट स्वीकार की जाकर श्रीमान् न्यायालय को चार माह के अन्दर निगरानी निस्तारण करने के आदेश दिये गये। प्रार्थीगण की रिट स्वीकार की **गई। इस प्रकार उक्त आदेश डी आर ओ साहब दिनांक 17.08.2004 का एडीएम साहब का आदेश दिनांक 20.10.2004 स्वतः की निरस्त हो जाते है और प्रकरण श्रीमान् न्यायालय को रिमाण्ड किया गया।**

**उनका आगे यह भी कथन था कि** माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय डीपी स्पेशल अपील रिट नम्बर 600/2007 निर्णय दिनांक 25.10.2007 में भी यह तैयार किया गया कि विस्थापित व्यक्ति को डीपी एक्ट रिपिल होने के बाद भी बेदखल नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण के लंबित मामले में कार्यवाही चालू रहेगी।

**उनका आगे यह भी कथन था कि** डीपी एक्ट की धारा 21 में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि रिकवरी ऑफ एरि[illegible] राशि कैसे वसूल की जायेगी जिसमें भी यह तैय किया गया कि [illegible] एक्ट के तहत बकाया वसूली की जा सकेगी। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा अपने निर्णय आर आर डी 1990 पेज नम्बर 35 पर डीपी सिविल रिट पैटीशन नम्बर 1890/1985 के निर्णय में निर्धारण किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

**उनका आगे यह भी कथन था कि** राज्य सरकार के आदेश दिनांक 16.10.1987 में यह अंकित किया गया है कि इस प्रकार के हस्तान्तरणों के सम्बन्ध में राज्य सरकार में अपने पत्र क्रमांक 2(6)रिहबली 64/11 दिनांक 16.10.1987 भूमि को रिजमशन की कार्यवाही नहीं करने के निर्देश दिये गये है।

**उनका आगे यह भी कथन था कि** प्रार्थीगण को उपरोक्त बकाया राशि के सम्बन्ध में डीआरओ साहब व तहसीलदार द्वारा कभी भी किसी प्रकार का कोई नोटिस बकाया राशि जमा करवाने बाबत आज तक नहीं दिया गया तथा ना ही प्रार्थीगण से किसी प्रकार से कोई राशि की मांग की गई। प्रार्थीगण के जैसे की पता चला स्वयं उपस्थित होकर कार्यवाही की गई है समस्त बकाया राशि मय ब्याज एक मुश्त जमा करवाने को प्रार्थीगण आज भी तैयार है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार भी प्रार्थीगण से बकाया राशि जमा करवाई जाकर खातेदारी प्रार्थीगण के नाम से दी जावे।

**उनका आगे कथन था कि** डीपी एक्ट रिपिल होने के बाद ऐसे प्रकरण जिसमें मूल आवटियों में खातेदारी अधिकार प्राप्त होने से पूर्व ही भूमि का बेचान औपचारिक/अनौपचारिक तरीके से किसी अन्य व्यक्ति को कर दिया है और मौका पर मूल आवंटी की बजाय अन्य व्यक्ति काबिज है तो राज्य सरकार के आदेशानुसार उक्त भूमि को उपखण्ड अधिकारी आवंटन सलाहाकार समिति से सलाह करके ऐसे हस्तानन्तरणों को वैद्य घोषित कर सकता है तथा बकाया राशि जमा करवाई जाकर नियमन किया जा सकता है। प्रार्थीगण इस एक्ट में भी प्रकरण कवर होता है।

**उनका आगे यह भी [illegible]** के वारिसान के द्वारा भी बकाया राशि दिनांक 27.0[illegible]1966 को 3,000/- रूपये व दिनांक 12.02.19[illegible] जरिये चालान जमा करवाई जा चुके है। चालान की प्रतिया संलग्न पत्रावली हैं परन्तु फिर भी प्रार्थीगण अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

हिस्से की उक्त 10 बीघा भूमि का कोई बकाया राशि बनती है तो प्रार्थीगण ब्याज सहित आज भी जमा करवाने को तैयार है।

**उनका आगे यह भी कथन था कि** उप तहसीलदार, हिन्दुमलकोट की कब्जा काश्त रिपोर्ट सिंचाई विभाग की लगान जमा की रसीद दिनांक 07.07.2022, जल उपभोक्ता संगम 2 बी बड़ी कोठा दिनांक 08.07.2022 का असल प्रमाण पत्र पेश किया जा रहा है। इस सब दस्तावेजों से प्रार्थीगण का खरीद की तिथि से आज तक कब्जा काश्त काबिज है। इसलिए प्रार्थीगण को उक्त रकबा की खातेदारी दिया जाना न्यायोचित होगा। अपनी बहस के समर्थन में प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अध्यक्ष, जल उपभोक्ता संगम, कोठा का प्रमाण पत्र, सिंचाई विभाग की रसीद, राजस्थान सरकार राजस्व (पुनर्वास) विभाग का परिपत्र दिनांक अक्टूबर 06, 2009 आदि की प्रतियां पेश की है, जो शामिल पत्रावली है।

**उनका आगे यह भी कथन था कि** प्रार्थीगण की उक्त निगरानी स्वीकार की जाकर प्रार्थीगण उक्त 10 बीघा भूमि की बकाया राशि जमा करवाई जाकर प्रार्थीगण को खातेदारी दिये जाने का आदेश प्रदान किये जावे।

**इसके विपरीत राजकीय अधिवक्ता** श्री गुरजीत सिंह वानर का कथन था कि चक 2 सी बड़ी के मुरब्बा नं. 16/11 की 25 बीघा भूमि बहादर सिंह पुत्र मोहर सिंह को क्लेमैंट के रूप में भारत सरकार से आलॅट हुई थी और उक्त भूमि में से किला नं. 1 ता 10 कुल 10 बीघा भूमि अप्रार्थीगण/निगरानीकर्ता बचन सिंह, प्रीतम सिंह के कथनानुसार उन द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 18.04.1968 को क्रय की गई थी और उक्त विवादग्रस्त भूमि की बकाया किश्तें होने के कारण विवादग्रस्त भूमि पर जिला पुनर्वास अधिकारी द्वारा दिनांक 02.04.1983 को रिसिवर कायम किया गया था। जिला पुनर्वास अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 2.04.1983 के विरूद्ध सैटलमैंट कमीश्नर एवं अति. जिला कलक्टर (सर्तकता) के न्यायालय में अपील पेश की गई जो उनके द्वारा दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

28.07.1986 को खारिज कर दी गई। उक्त आदेश दिनांक 28.07.1983 के विरूद्ध प्राधिकृत चीफ सैटलमैंट कमीश्नर एवं जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष एक रिविजन संख्या 26/1987 अनवानी बागा बाई बनाम जिला पुनर्वास अधिकारी वगै. पेश की गई थी, जो प्रार्थिया विवादग्रस्त भूमि की बकाया राशि 7 दिवस में जमा करवाये अन्यथा विवादग्रस्त भूमि बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये गये थे।

राजकीय अभिभाषक का आगे यह भी कथन था कि तत्कालीन प्राधिकृत चीफ सैटलमैंट कमीश्नर एवं जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को उक्त निगरानी संख्या 26/1987 में पारित आदेश 23.11.1987 अंतिम हो चुका है जिसके विरूद्ध पैटीशनर बच्चन सिंह–प्रीतम सिह द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में कोई रिविजन/रिव्यू/रिट आदि पेश नहीं की गई है। इसलिए उक्त आदेश अंतिम हो चुका है और उक्त चक 2 सी बड़ी के मु.नं. 16/11 के किला नं. 1 ता 10 कुल 10 बीघा नहरी भूमि बहक सरकार हो चुकी है। इसलिए निगरानीकर्ता बचन सिंह प्रीतम सिंह पुत्रगण बख्तावर सिंह द्वारा प्रस्तुत मूल रिविजन खारिज किये जाने योग्य है।

मैंने, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि बचन सिंह, प्रीतम सिंह पुत्रगण बख्तावर सिंह ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 24 डी.पी.सी. एण्ड आर. एक्ट के अन्तर्गत अदालत प्राधिकृत सेटलमेंट कमिश्नर एवं अतिरिक्त जिलाधीश (प्रशासन) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 20.10.2004 एवं प्रबन्धक अधिकारी (पुर्नवास) एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 17.08.2004 के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष पेश की थी। उक्त निगरानी राजस्व अपील अधिकारी के क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु लौटाये जाने पर इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई, परन्तु केन्द्र सरकार द्वारा डिस्पलेस्ड पर्सन्स क्लेम्स एण्ड अदर लॉ रिपील एक्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

2005(एक्ट नं 35 सन् 2005) के द्वारा डी.पी. (री.एण्ड आर.) एक्ट 1954 (एक्ट नं 44) रिपील (निरस्त) करने के कारण इस निगरानी में दिनांक 26.12.2005 में कार्यवाही समाप्त की गई थी।

**माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जोधपुर** द्वारा एसबी सिविल रिट संख्या 10080/2008 बचन सिंह वगै. बनाम स्टेट में पारित उक्त निर्णय दिनांक 26.12.2005 को निरस्त कर डी.पी. (सी.एण्ड आर.) एक्ट के तहत पुनः सुनवाई हेतु निस्तारण करने के आदेश दिये जाने पर प्रकरण में पुनः कार्यवाही आरम्भ की गई।

**पैटीशनर बचन सिंह–प्रीतम सिंह** ने इस न्यायालय में जो निगरानी प्रस्तुत की गई है वह प्रबन्धक अधिकारी (पुनर्वास) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 17.08.2004 **पत्रावली संख्या 4/1996 एवं सैटलमैंट कमीश्नर एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 20.10.2004 अपील संख्या 43/2004 के विरूद्ध डी.पी. (सी.एण्ड आर.) एक्ट 1954 की धारा 24 के तहत प्रस्तुत की थी।**

**मूल आवंटी बहादर सिह की पत्नी** बागा बाई व अन्य के द्वारा उक्त रिसिवर किये गये 25 बीघा रकबा की बकाया राशि जमा करवाने की प्रार्थना करने पर, **प्रबन्धक अधिकारी (पुनर्वास) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने दिनांक 17.08.2004 में निम्नानुसार आदेश पारित किया :**

> "बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया गया। आवंटी बहादर सिंह पुत्र मोह[illegible] की मूल पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। मूल आवंटी पत्रावली से आवंटी द्वारा बकाया राशि जमा नहीं करवाने के कारण दिनांक 02.04.1983 को रकबा रिसीवर किया गया था लेकिन आंवटी द्वारा आज तक बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई। जब बागा बाई बकाया राशि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जमा करवाना चाहती है और खरीददारान अप्रार्थीगण राशि जमा करवाना चाहते है तो इस स्टेज पर राशि जमा करवाई जानी उचित नहीं है चूंकि रकबाराज से करीब 20 वर्ष पहले रिसीवर किया जा चुका है लेकिन तहसीलदार द्वारा इस सम्बन्ध में आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। **अतः भूमि का कब्जा बहक सरकार रिसिवर राष्ट्रपति भारत सरकार लेकर कार्यवाही की जानी उचित है। अप्रार्थीगण द्वारा जो अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है वह रिसवीर रकबा की पेश की गई है, जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।**

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर चक 2 सी बडी के मुरब्बा नं. 11 के 25 बीघा भूमि का कब्जा बहक रिसीवर राष्ट्रपति भारत सरकार लिये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, उक्त आराजी जो कब्जा बहक रिसीवर राष्ट्रपति भारत लेकर काश्त आदि की व्यवस्था करें। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार को लिखा जावे। आदेश सुनाया गया।

हस्ताक्षर 17.08.2004
प्रबन्धक अधिकारी (पुनर्वास)
एस.डी.एम., श्रीगंगानगर (राज.)

**प्रबन्धक अधिकारी (पुर्नवास) एस.डी.एम., श्रीगंगानगर** के उक्त आदेश दिनांक 17.08.2004 के विरूद्ध बचन [illegible] सिंह जो कि बहादर सिंह मूल आवंटी से वादग्रस्त [illegible] 16 [illegible] के किला नं. 1 ता 10 के जरिये रजिस्टर्ड बैयनांमा खरीददार है, के द्वारा अपील संख्या 43/2004 अन्तर्गत धारा 22 डीपीसी एण्ड आर अनवानी **बचन सिंह, प्रीतम सिंह पुत्रगण बख्तावर सिंह बनाम डीआरओ अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) एवं प्राधिकृत**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सैटलमैंट कमीश्नर के समक्ष प्रस्तुत की जो उनके आदेश दिनांक 20.10.2004 के द्वारा खारिज कर दी, जिसके पृष्ठ संख्या 3 4 पर निम्न प्रकार आदेश पारित किया गया है :

"चूंकि रकबा 20 वर्ष पहले से ही रिसीवर है। अपीलाधीन आदेश 17.08.2004 पूर्व रिसीवर आदेश की अनुपालना में ही सही एवं उचित पारित किया जाना पाया जाता है। अधीनस्थ अदालत में पारित निर्णय 17.08.2004 में अंकित पक्षकारान को भी अपीलांट द्वारा पक्षकार अपील में नहीं बनाया गया है जबकि बागा बाई को भी पक्षकार बनया जाना वाहिए था। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में बागाबाई पक्षकार है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ अदालत की पत्रावली में बागा बाई आदि बनाम प्रीतम सिंह आदि में दिनांक 08.10.1996 को प्रस्तुत तबाब आवेदन पत्र में स्वयं विवादित रकबा क्रय किया जाना बताया जाकर अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की गई है जबकि इससे पूर्व ही विवादित रकबा रिसीवर हो चुका था एवं रिसीवरी आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत कलक्टर एवं चीफ सैटलमेन्ट कमीश्नर श्रीगंगानगर के यहां प्रस्तुत निगरानी 26/87 अनवानी बागाबाई बनाम जिला पुर्नवास अधिकारी निर्णय दिनांक 23.11.1987 द्वारा खारिज हो चुकी थी। यह निर्णय दिनांक 23.11.1987 भी इसी पत्रावली के साथ संलग्न रिकवरी पत्रावली में उपलब्ध है। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट को भी इस निर्णय दिनांक 23.11.1987 का ज्ञान हो चुका था लेकिन इसके विरूद्ध कोई अपील/निगरानी प्रस्तुत की जानी नहीं पाई जाती है जबकि इस आदेश को ही चुनौती दी जानी चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाधीन आदेश **प्रबन्धक अधिकारी (पुर्नवास), एसडीएम श्रीगंगानगर दिनांक 17.08.2004 जिसके द्वारा चक 2 सी बडी के मुरब्बा नं 11 की 25.00 बीघा भूमि का कब्जा बहक सरकार रिसीवर राष्ट्रपति भारत सरकार लिये जाने के जो आदेश दिये गये है,** में हम कोई हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं समझते। अपील अपीलांट खारिज की जाती है। **पूर्व में इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 19.08.2004 निरस्त किया जाता है।** निर्णय की प्रति मय रेकार्ड से सम्बन्धित को भिजवा पत्रावली दाख़िल दफ़्तर हो।

आदेश आज दिनांक 20.10.04 को खोले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

-sd-
(इन्द्र सिंह राव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र.) एवं
प्राधिकृत सैटलमेन्ट कमीश्नर
श्रीगंगानगर

**उभयपक्ष की बहस पर मनन किया।** पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । यह तथ्य निरविवादित है कि चक 2 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बा 16 हाल 11 की 25 बीघा भूमि बहादर सिंह पुत्र मेहर सिंह, जाति रायसिख निवासी चक 2 सी बड़ी को आवंटन हुई और रकबा की बकाया राशि होने के कारण जिला पुनर्वास अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा विवादित रकबा को रिसीवर किया गया। रिसीवर आदेश के विरूद्ध तत्कालीन जिला कलक्टर एवं प्राधिकृत चीफ सैटलमैंट कमीश्नर, श्रीगंगानगर के यहां निगरानी संख्या 26/1987 अनवानी बागाबाई बनाम जिला पुनर्वास अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं अन्य प्रस्तुत की गई, जिसमें दिनांक 23.11.1987 को निगरानी खारिज की जाकर निम्न आदेश दिये गये :

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

**बहस पर विचार किया गया।** पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बकाया जमा करवाने के लिए बार-बार नोटिस दिए गए, लेकिन उनके द्वारा बकाया जमा नहीं करवाई गई। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिसीवर नियुक्त करने में कोई भूल नहीं की गई है। इस निगरानी में कोई कानूनी बिन्दु भी नहीं उठाया गया है। **दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पूर्ण जांच के उपरान्त सही रूप से निर्णय पारित किए गए है। इस निगरानी के क्रम में इसमे किसी प्रकार हस्ताक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता। अतः यह निगरानी खारिज की जाती है। यह भी आदेश दिए जाते है कि प्रार्थीया बकाया राशि 7 दिन के अन्दर–अन्दर जमा करवाए अन्यथा विवादास्पद भूमि बहक सरकार लेने की कार्यवाही की जाये।** रिकॉर्ड मय नकल फैसला लौटाया जाकर, यह पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.11.1987 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

-sd-
(रामलुभाया)
कलैक्टर एवं प्राधिकृत चीफ
सैटलमैंट कमीश्नर, श्रीगंगानगर

**चूंकि तत्कालीन जिला कलक्टर एवं** प्राधिकृत चीफ सैटलमैंट कमिश्नर, श्रीगंगानगर के रिसीवर शुदा [illegible] के सरकार रकबा लेने के आदेश दिनांक 23.11.1987 अन्[illegible] [illegible] अधीनस्थ न्यायालय प्रबन्धक अधिकारी (पुनर्वास) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं प्राधिकृत सैटलमैंट कमीश्नर एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर अपने स्तर पर बकाया राशि जमा करवाने के आदेश देने में सक्षम भी नहीं थे। इसलिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अधीनस्थ न्यायालयों प्रबन्धक अधिकारी (पुनर्वास) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 17.08.2004 एवं प्राधिकृत सैटलमैंट कमीश्नर एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 20.10.2004 में राही है तथा पैटीशनर बचन सिंह प्रीतम सिंह ने अपनी लिखित बहस के पैरा संख्या 6 में भी निम्नानुसार अंकित किया है:

> आदेश दिनांक 26.12.2005 के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा एक रिट एस बी सिविल रिट पेटीशन नम्बर 10080/2008 माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में पेश की, जिस पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 16.09.2009 को रिट स्वीकार की जाकर श्रीमान् न्यायालय को चार माह के अन्दर निगरानी निस्तारण करने के आदेश दिये गये। **प्रार्थीगण की रिट स्वीकार की गई। इस प्रकार उक्त आदेश डी आर ओ साहब दिनांक 17.08.2004 का एडीएम साहब का आदेश दिनांक 20.10.2004 स्वतः की निरस्त हो जाते है और प्रकरण श्रीमान् न्यायालय को रिमाण्ड किया गया।**

**पैटीशनर बचन सिंह–प्रीतम** सिंह स्वयं ने भी यह स्वीकार किया है कि माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने अपने आदेश दिनांक 16.09.2009 को रिट स्वीकार किये जाने से **डी.आर.ओ. के आदेश दिनांक 17.08.2004 का एडीएम के आदेश दिनांक 20.10.2004 स्वतः की निरस्त हो जाते** है निगरानीकर्ता ने जिला कलक्टर एवं प्राधिकृ[illegible] श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 23.11.1987 के विरू[illegible] में कोई रिविजन/रिव्यू/रिट आदि पेश न[illegible]जकीय अधिवक्ता ने भी अपनी बहस में कथन किया है कि पैटीशनर ने जि[illegible] कलक्टर **एवं** प्राधिकृत चीफ सैटलमैंट कमिश्नर, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 23.11.1987 के विरूद्ध किसी भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

न्यायालय में कोई रिविजन/रिव्यू/रिट आदि पेश नहीं की हैं, जिसकी प्रार्थीगण ने अपनी लिखित/मौखिक बहस में भी कोई चर्चा नहीं की है। इसलिए **तत्कालीन जिला कलक्टर एवं प्राधिकृत चीफ सैटलमैंट कमिश्नर, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 23.11.1987 अन्तिम हो चुके है। इससे यह तात्पर्य है कि भारत सरकार द्वारा डी.पी. (सी.एण्ड आर.)एक्ट 1954 के रिपील (निरस्त) के समय यह प्रकरण लम्बित नहीं था, इसलिए पैटीशनर इस निगरानी में किसी प्रकार की कोई राहत प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं।** इसलिए पैटीशनर की यह पैटीशन खारिज किये जाने योग्य है और उक्त चक 2 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 16/11 के किला नम्बर 1 ता 10 कुल 10 बीघा नहरी भूमि को तुरन्त प्रभाव से बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये जाते है।

**अतः उक्त विवेचन के आधार** पर निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों का रिकॉर्ड मय आदेश की प्रति प्राधिकृत सैटलमैंट कमीश्नर एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), जिला पुर्नवास अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पूर्व पत्रावली में भी निर्णय की प्रति शामिल कर पुनः जिला अभिलेखागार में जमा है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो।

**आदेश आज दिनांक 08.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।**

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:10 IST
Reason: SelfAttested

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर एवं प्राधिकृत चीफ
सैटलमैंट कमिश्नर, श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर